न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत खेरखटा

वाद संख्याः– 75 / प्रा0पत्र / 2020

1. मोहन पिता श्री पन्ना जाति रेगर निवासी जाखोली कला तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

2. गोपाल आ0 सुवा जाति रेगर निवासी जाखोली कला
3. महावीर आव सुवा सुवा जाति रेगर निवासी जाखोली कला
4. मोजा आ0 माग्या जाति रेगर निवासी जाखोली कला
5. हरज्या आ0 माग्या जाति रेगर निवासी जाखोली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री महेश नामा

अप्रार्थी – श्री चन्द्रप्रकाश जैन

निर्णय दिनांक :– 12 / 10 / 2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 11 खसरा संख्या 334 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खं0 सं0 335 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं0 347 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 349 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 372 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मरडिया पटवार हल्का खेरखटा तहसील हिण्डोली जिाल बून्दी राज0 में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम धन्ना वल्द देवा दर्ज किया हुआ है उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्ध है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम पन्ना पिता देवा है प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पन्ना वल्द देवा दर्ज है व प्रार्थी के पिता के खाते की भूमि खाता संख्या 15 में भी प्रार्थी के पिता का नाम पन्ना वल्द देवा ही दर्ज है। और अन्य खाते की भूमि खाता संख्या 15 व खाता संख्या 14 की कृषि भूमि में भी प्रार्थी के पिता का नाम पन्ना ही अंकित हो रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में से खाता संख्या 11 में प्रार्थी के पिता के नाम नामान्तरण खोला गया है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम धन्ना वल्द देवा दर्ज कर दयिा है उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्ध है प्रार्थी के पिता के सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी के पिता का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

न पन्ना है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिये जाने से एवं प्रार्थी के पिता के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम धन्ना अंकित होने से प्रार्थी उक्त भूमि पर बैंक से ऋण वगेरा व सहकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत इन्द्राज धन्ना के अंकन को विलोपित कर पन्ना दर्ज करने का अनुरोध किया तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहां और प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली व राजस्व लोक अदालत केम्प नेगढ में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त नही किया गया है और अन्तिम बार राजस्व केम्प तहसील कार्यालय में लगा तो उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने मना कर दिया इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण दिनांक 10.02.2020 को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम जाखोली कला तहसील हिण्डोली जिल बून्दी में विस्थित होने एंव लेण्ड रिकार्ड ऑफीसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी खाता संख्या 11 खसरा संख्या 334 रकबा1 बीघा 2 बिस्वा, , खं0 सं0 335 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं0 347 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 349 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 372 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम मरडिया पटवार हल्का खेरखटा तहसील हिण्डोली जिल बून्दी राज0 में दर्ज मुस्मात धन्ना वल्द देवा के अंकन को दुरूस्त कर उक्त के स्थान पर पन्ना वल्द देवा दर्ज किये जाने के आदेश करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 जबाव पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि में दर्ज मुस्मात धन्ना वल्द देवा के अंकन को दुरूस्त कर उक्त स्थान पन्ना वल्द देवा दर्ज किये जाने में पूर्ण सहमति होना अंकित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 पेरोकार सरकार की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि वादी के पिता का नाम खाता नम्बर 14 ग्राम मरडिया में पन्ना दर्ज है व खाता संख्या 15 में भी पन्ना पिता देवा दर्ज है। वादी के शपथ पत्र व संलग्न खाते की नकल अनुसार खाता संख्या 11 में प्रार्थी के पिता का नाम धन्ना पिता देवा के स्थान पन्ना पिता देवा दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र खेरखटा में पेश हुई प्रार्थी/वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बहस सुनी जाकर निर्णय किये जाने निवेदन किया । हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के पिता का सही नाम पन्ना वल्द देवा है। जबकि प्रार्थी के पिता का नाम प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में दर्ज भूमि खाता संख्या 11 ग्राम मरडिया में धन्ना वल्द देवा दर्ज है जिसे सही कर प्रार्थी के पिता का नाम पन्ना पिता देवा जाति रेगर शुद्व दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बूंदी)

वें। इस हेतु प्रार्थी ने जमाबंदी संवत 2073 से 2076 ग्राम जाखोली खुर्द खाता नम्बर 14 व जमाबंदी सवंत 2073 से 2076 ग्राम जाखोली खुर्द खाता नम्बर 15 पेश की है, जिनमें प्रार्थी के पिता का सही नाम पन्ना वल्द देवा जाति रेगर दर्ज है साथ ही दौरान केम्प उपस्थित मोतबीर व्यक्तियों ने भी प्रार्थी का सही नाम पन्ना वल्द देवा जाति रेगर होना अवगत कराया है। दौराने कैम्प प्रस्तुत मजमेआम रिपोर्ट संलग्न है।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब अप्रार्थी 1 लगायत 4 व जबाव सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073 से 2076 ग्राम जाखोली खुर्द खाता नम्बर 14 व जमाबंदी सवंत 2073 से 2076 ग्राम जाखोली खुर्द खाता नम्बर 15 पेश की है, जिनमें प्रार्थी के पिता का सही नाम पन्ना वल्द देवा जाति रेगर दर्ज है। जबकि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 ग्राम मरडिया खाता नम्बर 11 में प्रार्थी के पिता का नाम धन्ना वल्द देवा कौम रेगर दर्ज है जिसे विलोपित कर प्रार्थी के पिता का सही नाम पन्ना वल्द देवा कौम रेगर दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि नया खाता संख्या 11 पुराना 12 जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 वाके ग्राम मरडिया पटवार मण्डल खेरखटा में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम धन्ना वल्द देवा कौम रेगर के अंकन को विलोपित कर प्राथी के पिता का सही नाम पन्ना वल्द देवा कौम रेगर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 शिविर मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत खेरखटा में सरेआम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)